न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 212/2021

अकरम पुत्र श्री उदय भान, गांव सांडवा, तहसील तौशाम, जिला भिवानी (हरियाणा), पिन कोड 127043, मो0न0 9728072083

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 212/2021 पर दिनांक 06.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3273–3274 दिनांक 08.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/21/1937 दिनांक 12.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अकरम पुत्र श्री उदय भान, गांव सांडवा, तहसील तौशाम, जिला भिवानी (हरियाणा) का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 24.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/316 दिनांक 25.08.2021 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 34 दिनांक 03.09.2021 द्वारा आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना को अन्तरित कर बिन्दू सं0 3, 4, 5 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि बिन्दू संख्या 1 की सूचना स्पष्ट नही है एवं बिन्दू सं0 2 की सूचना जन सूचना पोर्टल व खाद्य विभाग food.raj.nic.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है जो पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु अनुपस्थित।
6. लो0सू0अ0 (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ16(4)(5) न्याय/ सू0अ0/21/1937 दिनांक 12.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अकरम पुत्र श्री उदय भान, गांव सांडवा, तहसील तौशाम, जिला भिवानी (हरियाणा) का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 24.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/316 दिनांक 25.08.2021 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 34 दिनांक 03.09.2021 द्वारा आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना को अन्तरित कर बिन्दू सं0 3, 4, 5 की सूचना अपीलार्थी को

जिला कलक्टर झुंझुनूं

उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि बिन्दू संख्या 1 की सूचना स्पष्ट नही है एवं बिन्दू सं0 2 की सूचना जन सूचना पोर्टल व खाद्य विभाग food.raj.nic.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है जो पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी बिन्दू सं0 3, 4, 5 की सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बुहाना से प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बुहाना अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं